



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026

चैत्र 20, 1948 शक सम्बत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0

पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ

संख्या 608/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/26-25/2026

लखनऊ, 10 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

(संशोधन)

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243ट संपठित उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राज प्रताप सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त उ0प्र0, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा उत्तर प्रदेश में एस0आई0आर0 प्रक्रिया के कारण निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण में योजित कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 354/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/26-25/2025, दिनांक 19-02-2026 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में निम्नांकित समय-सारिणी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी:-

समय-सारिणी

क्र0सं0	कार्यक्रम	अवधि
1	मतदाता सूचियों की कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांकन, SVN आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियाँ कराने आदि।	17 मार्च, 2026 से 21 अप्रैल, 2026 तक
2	निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन	22 अप्रैल, 2026

2-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा।

3-निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

आज्ञा से,
राज प्रताप सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 56 राजपत्र-2026-(111)-588+10=598 प्रतियां-(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।